



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102025-266970
CG-DL-E-16102025-266970

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 676]
No. 676]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 14, 2025/आश्विन 22, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 2025/ASVINA 22, 1947

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2025

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया)
(छठवां संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.130.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (छठवां संशोधन) विनियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) में, विनियम 39ग का लोप किया जाएगा।
- मूल विनियमों के विनियम 39घ में,
(i) खंड (क) में, "प्रयुक्त अवधि, यदि कोई हो;" शब्दों और चिह्न के पश्चात् "और" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।
(ii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा।

4. मूल विनियमों के प्ररूप ज के पैराग्राफ 15 में, मद ख का लोप किया जाएगा ।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./410/2025-26]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 478, तारीख 4 जुलाई, 2025 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.128, तारीख 4 जुलाई, 2025 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 द्वारा किया गया था ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2025

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Sixth Amendment) Regulations, 2025.

F. No. IBBI/2025-26/GN/REG130.— In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Sixth Amendment) Regulations, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), regulation 39C shall be omitted.
3. In the principal regulations, in regulation 39D,
 - (i) in clause (a), after the words, number and mark "Companies Act, 2013;," the word "and" shall be inserted.
 - (ii) clause (b) shall be omitted.
4. In the principal regulations, in Form H, in paragraph 15, point b shall be omitted.

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Ext./410/2025-26]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016- 17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fifth Amendment) Regulations, 2025 published *vide* notification No. IBBI/2025-26/GN/REG128, dated the 4th July, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 478 on 4th July, 2025.